



सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

मामले का विवरण:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो _____ से प्रभावी है। इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी ("डिवीज़न") ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि \$ _____ थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि \$ _____ थी।

पिछले नियोक्ता से अलगाव के मुद्दे पर दावे को निर्णायक के पास भेजा गया। डॉकेट संख्या _____ के तहत _____ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, यह पता लगाने के लिए कि दावेदार N.C. Gen. Stat. §96-14() के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है) | (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी (नाम) द्वारा अपील डॉकेट संख्या _____ के तहत सुनवाई हुई। अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: _____ | अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14() के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार अयोग्य (नहीं) है, यह पता लगाने के लिए _____ तारीख को निर्णय जारी किया। (दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है।

तथ्यों की खोज:

1. दावेदार ने _____ से _____ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है। दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है।



शुरू किया। उसने नियोकता के लिए अंतिम बार _____ तारीख को काम किया।

2. दावेदार ने नियोकता के लिए _____ के रूप में _____ तारीख से काम करना

कानून का ज्ञापन:

North Carolina का रोजगार सुरक्षा कानून यह कहता है कि यदि डिवीजन यह पाता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण से, निम्न में से किसी एक या एक से अधिक करने में विफल होता है, तो उसे शेष लाभों को परापत करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा:

- (1) डिवीजन के रोजगार कार्यालय के निर्देशानुसार उपलब्ध उपयुक्त कार्य के लिए आवेदन करना।
- (2) उपयुक्त काम का अवसर मिलने पर उसे स्वीकार करना।
- (3) डिवीजन के निर्देशानुसार व्यक्ति के प्रथागत स्वयं रोजगार पर वापस लौटना।

N.C. Gen.Stat. §96-14.11(b).

रोजगार की पेशकश उपयुक्त है इसका डिवीजन द्वारा निर्धारण व्यक्ति की बेरोजगारी की अवधि की लंबाई के आधार पर निम्नानुसार भिन्न होना चाहिए:

- (1) लाभ अवधि के पहले 10 हफ्तों के दौरान, डिवीजन निम्नलिखित सभी पर विचार कर सकता है:
 - a. व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े जोखिम का स्तर।
 - b. व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस और पूर्व प्रशिक्षण और अनुभव।
 - c. व्यक्ति के प्रथागत व्यवसाय में स्थानीय कार्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति की संभावनाएं।
 - d. व्यक्ति के निवास से उपलब्ध कार्य की दूरी।
 - e. व्यक्ति की पूर्व आमदनी।
- (2) एक लाभ अवधि के शेष सप्ताहों के दौरान, डिवीजन को कोई भी रोजगार जो व्यक्ति की साप्ताहिक लाभ राशि के एक सौ बीस प्रतिशत (120%) का भुगतान करता हो, उस रोजगार पेशकश का उपयुक्त सार्थक कार्य के रूप में विचार करना चाहिए।

N.C. Gen.Stat. §96-14.9(f).

कानून के निष्कर्ष:

वर्तमान मामले में, सुनवाई में पेश किए गए सक्षम और विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों तक पहुंचकर किसी भी तरह के प्रतिवादित साक्ष्य का समाधान किया गया।

उच्च प्राधिकरण नणर्य संख्या
चार म से पृष्ठ तीन



निमन हसताक्षरकतार ने योगय और विसवसनीय सबूतों और तथर्यों से यह निषकष निकाला है कि दावेदार :

पूर्ववर्ती के आधार पर, अपील रेफरी के निर्णय में (पुष्टि/बदलाव/संशोधन) होना चाहिए। इसके अलावा, दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए (पात्र) (अपात्र) समझा जाना चाहिए।

निर्णय:

अपील रेफरी के निर्णय की (पुष्टि) (बदलाव) (संशोधन) हुआ है।

_____ से शुरू होनेवाले सपताह के बेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करने के लिए दावेदार **अपा र है** (अपा र नहीं है) और _____ से शुरू होनेवाले सपताह के बेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करेगा।

बोडर ऑफ़ रिच्यु के सदसय Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निर्णय स सहमत हैं।

यह है

बोर्ड ऑफ़ रिच्यु

चेयरमैन

नोट: यह उच्च प्राधिकरण का निर्णय मेल भेजने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, जब तक की नीचे दिए गए अनुसार, एक न्यायिक समीक्षा की याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर ना की गई हो। मेल भेजने की तारीख इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर मिलेगी। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय को अपील करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य के सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में और रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा विभाग की www.des.nc.gov वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स सेक्शन को भी देख सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार



इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकर्ता का प्रमुख व्यवसाय स्थान है। यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में प्रमुख व्यवसाय नहीं है, तो अपील को वेक काउंटी, North Carolina के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर किया जाना चाहिए या North Carolina की उस काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए।

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और डिवीज़न की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट: यदि आपको किसी अनय पक्ष द्वारा नयायिक समीक्षा के लिए याचिका परदान की जाती है, आप नयायिक समीक्षा की कायरवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च नयायालय को याचिका परापत होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कायरवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में परदान किये गए अनुसार हसतक्षेप के लिए परसताव परसतुत नहीं करते।

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोकता के बेरोजगारी बीमा परशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के वयक्तियों सहित) एक लाइसेंस परापत वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस परापत वकील द्वारा निरीक्षित वयक्त हो। वकील के निरीक्षण की सूचनाएँ और/या परमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों। नयायिक कायरवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए।

उच्च प्रा धकरण नणर्य संख्या चार म से पृष्ठ चार



04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 केअनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को परदान किये जाने वाले सभी दसतावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्षके कानूनी प्रतिनिधि को परदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्त्वपूर्ण और परभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी परशासनिक या नयायिक निणरय से पराप्त लाभों के पुनभुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

दावेदारों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अंतनिरहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ परापत कर रहे हैं या पहले परापत कर चुके हैं और इस उच्च पराधिकरण निणरय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को परापत करने के लिए अपातर या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है। यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च पराधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निधाररण भेज दिया जाएगा। यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निधाररण, अनय बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अनय लागू जुमारने को निर्दिष्ट करेगा। कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से परतिवाद करने का एकमातर तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर नयायालय में इस उच्च पराधिकरण निणरय की नयायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना। आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपातरता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निधाररण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है।

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: